दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/ CSC/ 10898–11297 दिनांक 09/2/2012

–:: परिपत्र ::–

वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.4(8)वित्त/ राजस्व/2005 पार्ट दिनांक 01.08.2011 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कटौती पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) अथवा बाजार से इन्टरनेट सुविधा का उपयोग करने एवं इस पर अधिकतम ₹ 100/– प्रति माह कार्यालय व्यय किए जाने अथवा इन्टरनेट कनेक्शन लेने के संबंध में उक्त परिपत्र में वर्णित अधिकतम ₹ 700/– तक व्यय करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय/ उपकोषालय को ऑनलाइन वेतन बिल प्रस्तुत करने हेतु भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। उक्त कार्य भी पूर्व निर्धारित दर ₹ 100/– प्रतिमाह प्रति कार्यालय में ही शामिल होगा।

यह परिपत्र वित्त विभाग के बार कोड़ संख्या 271200052 दिनांक 03.02.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जाता है।

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/ CSC/ 10898–11297 दिनांक 09/2/2012

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
4. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
5. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, बी–ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर को डी.टी.ए. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

निदेशक